न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3723–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 21.06.2013 पारित – व्दारा–अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर–प्रकरण कमांक 21 अ 6 अ/ 2007–08 पुनरावलोकन

सोहन पुत्र फद्दी यादव
ग्राम सुल्लेरन पुरवा (बगौता)
तहसील व जिला छतरपुर ———आवेदक

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव

म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक श्री एच.के.अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक 22.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ 6 अ /2007–08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 20–6–2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा बगौता स्थित भूमि सर्वे कमांक 2703/2 रकबा 1–404 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके पिता फद्दी पुत्र गोरेलाल यादव के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है जो उन्हें 1976–77 में पटटे पर प्राप्त हुई थी जिस पर

तहसीलदार व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 24 पर आदेश दिनांक 17–2–86 से शासकीय पटटेदार के बजाय भूमिस्वामी घोषित कर दर्ज की गई। वर्ष 1994–95 में पटवारी ने बिना सक्षम स्वीकृति के भूमि शासन के नाम दर्ज कर दी है इसलिये आवेदक के पिता के स्वर्गवास होने के कारण उसका नाम वादग्रस्त भूमि पर वारिसान के आधार पर दर्ज किया जावे। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण कमांक 21/अ–6–अ/07–08 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 21–4–2008 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर सोहन तनय फद्दी यादव का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किया। दिनांक 3–1–13 को तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण कमांक 21/अ–6–अ/07–08 में निम्नानुसार आर्डरशीट लिखी :–

" तहसीलदार महो. क0 24 से आदेश दिनांक 17–2–86 के अनुसार खातेदार फद्दी को शासकीय पटटे से भूमिस्वामी घोषित किया दर्ज किया अंकित है उक्त प्रविष्टि संदिग्ध प्रतीत होती है " एंव इसी आर्डरशीट पर प्रस्ताव देकर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर से आदेश दिनांक 21–4–08 के पुनरावलोकन की अनुमति मांगी गई, जो आदेश दिनांक 21–6–13 से प्रदान की गई, इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि हलका पटवारी व्दारा बिना किसी आदेश के शासकीय अभिलेख से भूमिस्वामी का नाम काटकर मध्य प्रदेश शासन गलत दर्ज किया था जिसके रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन दिया गया था, तहसीलदार छतरपुर ने पूरी तरह छानवीन करके एंव अभिलेख देखकर प्रकरण कमांक 21/अ–6–अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 21–4–2008 से मृतक भूमिस्वामी का आवेदक एकमात्र उत्तराधिकारी होने

शासकीय अभिलेख में नाम दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसे निरस्त करने हेतु तहसीलदार व्दारा प्रकरण पुनरावलोकन में लेने हेतु अनुमति लेने में त्रृटि की गई है। शासन के पैनल अभिभाषक ने पुनरावलोकन की प्रकिया विधिवत् होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 11 से 37 तक वादग्रस्त भूमि के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ संलग्न है । खसरा संबत 2032 लगायत 2035 के अवलोकन से स्थिति यह है कि खसरे के कालम नंबर 18 में अंकित है कि " फद्दी तनय गोरे अहीर शासकीय पटटेदार 1976 से 1985 लगान 3.90 " । खसरा वर्ष 1980–81 लगायत 1983–84 के भूमिस्वामी के कालम नंबर 3 में प्रविष्टि इस प्रकार है – " फद्दी तनय गोरे अहीर शासकीय पटटेदार 1876–77 से 1985–86 " और इसी प्रकार की पृविष्टि खसरा सन 1979–80 से निरंतर 1987–88 तक चली आई। खसरा सन 2000 लगायत 2004 में म0प्र0शासन भूमिस्वामी के कालम में दर्ज है । खसरा 1988–89 तथा 2000 के किसी भी कालम में यह अंकित नहीं है कि भूमि म0प्र0शासन की किस अधिकारी के आदेश से दर्ज की गई है। खसरा वर्ष 1990 लगायत 1994 के कालम नंबर 20 में फद्दी को कालम नंबर 3 में भूमिस्वामी होना अंकित है। स्पष्ट है कि फद्दी तनय गोरे अहीर को भूमि पटटे पर प्राप्त थी, जिसे बिना सक्षम अनुमति के अथवा आदेश के हलका पटवारी ने शासकीय अभिलेख में म0प्र0 शासन की दर्ज की है।

6/ तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 21/अ–6–अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 21–4–2008 के अवलोकन पर आदेश के पद 4(2) का उद्धरण इस प्रकार है –

" आवेदक व साक्षी रामलाल अहिरवार तथा सुखनन्दन तिवारी के कथनानुसार वाद भूमि आवेदक के पिता फद्दी यादव की भूमि है जिस पर पूर्व में फद्दी यादव काविज रहे हैं फद्दी यादव के फोत होने के पश्चात् आवेदक उक्त भूमि पर काविज है फद्दी यादव लगभग दस वर्ष पूर्व फोत हो चुके है उनके एकमात्र वारिश है।

तहसीलदार के आदेश का पद –5 इस प्रकार है –

" प्रकरण के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाद भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिस पर आवेदक पूर्वजों से काविज है वर्ष 1994–95 में पटवारी व्दारा खसरा रोस्टर करते समय बगैर किसी सक्षम आदेश के मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दी गई है जो एक लिपिकीय त्रृटि की श्रेणी में आती है।"

विचार योग्य है कि जब तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण में जांच एंव छानवीन कर उपरोक्तानुसार निष्कर्ष निकालते हुये निर्णय दिया कि आवेदक उसके पिता फद्दी का एकमात्र वारिश होने से एंव पटवारी व्दारा की गई गलत प्रविष्टि को संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत दुरूस्त करना आदेशित करते हुये आवेदक का नाम खसरे में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने का दिनांक 21–4–2008 को निर्णय ले लिया, उसके 4 वर्ष 8 माह से अधिक अवधि वाद ऐसी कौनसी विशेष परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई जिसके कारण आदेश दिनांक 21–4–08 का पुनरावलोकन करना अनिवार्य हुआ। तहसीलदार छतरपुर के पुर्नरावलोकन प्रस्ताव दिनांक 3–1–13 में उक्त विवेचित प्रविष्टियॉ संदिग्ध प्रतीत होने का आधार दर्शाया है जबकि तहसीलदार व्दारा ही रिकार्ड की जांच कर एंव छानवीन कर निर्णय दिनांक 21–4–08 में प्रविष्टियॉ सही होना मानकर आवेदक को भूमिस्वामी अंकित करने का आदेश दिया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन अनुमति देते समय इन तथ्यों पर गौर न करने की भूल की है।

6/ तहसीलदार छतरपुर ने आदेश दिनांक 21–4–2008 को पुनरावलोकन में लेने के प्रस्ताव 4 वर्ष 8 माह वाद दिनांक 3–1–13 को भेजे हैं और अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–6–13 से लगभग 5 वर्ष 2 माह

वाद पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 (1)(तीन) इस प्रकार है :–

" किसी भी ऐसे आदेश का पुनरावलोकन जो प्राईवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जायेगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आदेश के पारित किये जाने के (साठ दिवस) के भीतर न किया गया हो। परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके कि विरूद्व पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता (सॅशोधन) अधिनियम 2011 के प्रवृत होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुर्नविलोकन , आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जायेगा "।

पुनरावलोकन के लिये समय–सीमा निर्धारित है किन्तु स्वप्रेरणा से पुनरावलोकन के लिये समयसीमा लागू नहीं है ।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा 51 – पुनरावलोकन युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिये। रबिनारायण विरूद्व म0प्र0राज्य 2000 रा0नि0 161 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित
2. स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये समुचित समय छह मास है। मनीजीत भल्ला तथा एक अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2011 रा0नि0 186 से अनुसरित

किन्तु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 21–6–13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ 6 अ /2007–08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 20–6–2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है परिणामतः तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 21/अ–6–अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 21–4–2008 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3723-तीन/13 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-8-14	श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा -152 सि0प्र0सं0 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्र0क्र0 3723-तीन/13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-8-14 में लिपिकीय त्रुटि से आदेश के पैरा-1 लाईन नं0-2 एवं पैरा-7 लाईन लाईन नं0 3 में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21-6-13 के स्थान पर 20-6-13 अंकित हो गया है। अतः उक्त टायपिंग त्रुटि में सुधार किया जाये। 2- आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। निगरानी प्रकरण क्रमांक 3723-तीन/13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-8-14 के पैरा 1 लाईन नं0-2 एवं पैरा 7 लाईन नं0-3 में आदेश दिनांक 21-6-13 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से 20-6-13 के स्थान पर 21-6-13 पढा जाये। यह आदेश पारित मूल आदेश का अंग माना जायेगा। सदस्य	

[कृ. प. उ.